कार्यालय : अंचल अधिकारी, चौपारण (हजारीबाग)

केस का प्रकार– विविध वाद सं0 03/24-25 मनवा देवी पति लीलो प्रजापति, सा0 पीपरा

–बनाम–

श्री शम्भू प्रजपाति पिता बाढो कुम्हार, सा0 पीपरा

श्री रामाशीष प्रजापति पिता शम्भू प्रजापति, सा0 पीपरा

दिनांक	आदेश पत्रक	अभ्युक्ति
04/05/2024	आवेदिका श्रीमती मनवा देवी पति स्व0 लीलो प्रजापति, सा0–पीपरा द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ हैं कि मौजा पीपरा थाना सं0–169 अंतर्गत खाता सं0–48 प्लॉट सं0–677 रकबा 10 डी0 भूमि पर श्री शम्भू प्रजापति पिता बाढो कुम्हार एवं श्री रामाशीष प्रजापति पिता शम्भू प्रजापति, दोनों सा0–पीपरा द्वारा 10 डी0 भूमि पर कब्जा किये हुए हैं जिसमें सड़क के सामने पुराने मकान को तोड़कर 5 डी0 भूमि पर नया बना रहे हैं एवं शेष 5 डी0, इनके हिस्से की भूमि पर भी कब्जा किये हुए हैं और इनकी जमीन नही देना चाहते हैं। प्राप्त आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 11/05/2024 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी 4/05/24 चौपारण।	
11/05/2024	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त एवं उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि इन सभी के बीच पूर्व में मौखिक बंटवारा हुआ था जिसके अनुसार श्री शम्भू प्रजापति का हिस्सा सड़क के किनारे होता हैं जिस पर पुराना घर बना हुआ हैं नया घर बना रहा हैं एवं श्रीमती मनवा देवी का हिस्सा खाता सं0–48 प्लॉट सं0–677 रकबा 10 डी0 के भू–भाग 5 डी0 भूमि पर होता हैं। सड़क चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहित होने के पश्चात श्री शम्भू प्रजापति के हिस्से की भूमि खाता सं0–48 प्लॉट सं0–677 रकबा 5 डी0 सड़क के किनारे हैं एवं ठीक इसके पीछे खाता सं0–48 प्लॉट सं0–677 रकबा 5 डी0 भूमि अवशेष हैं किन्तु मनवा देवी को जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही हैं। चूंकि भूमि रैयती खाते की हैं, पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका हैं एवं विवाद श्रीमती मनवा देवी को श्री शम्भू प्रजपाति को मिले हिस्से की भूमि से होकर पीछे जाने को लेकर हैं। अतः उभय पक्ष स्वयं आपसी सुलह/सक्षम न्यायालय से विवाद का निस्तारण कर सकते हैं। इसी निदेश के साथ उभय पक्ष पुनः दिनांक 10.06.2024 तक उपस्थित हो। अभिलेख दिनांक 15/06/2024 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी 11/05/24 चौपारण।	
15/06/2024	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित, दोनों पक्षों के द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया हैं कि श्री शम्भू प्रजापति अपने हिस्से की भूमि खाता सं0–48 प्लॉट सं0–677 रकबा 5 डी0 में से 7 फीट चौड़ा रास्ता श्रीमती मनवा देवी को देने को तैयार हैं एवं श्रीमती मनवा देवी दिये गये रास्ता के बराबर क्षेत्र की भूमि श्री शम्भू प्रजापति को उनके हिस्से की भूमि के ठीक पीछे देने को तैयार हैं। चूँकि मामला रास्ते के विवाद को लेकर था एवं उभय पक्षों में आपसी सहमति से विवाद का निस्तारण हो गया हैं। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। लेखापित एवं शुद्धित अंचल अधिकारी चौपारण। अंचल अधिकारी 15/06/24 चौपारण।	

Digitally signed by Sanjay Kumar Yadav
Date: 2025.11.11 13:25:44 +05:30
Location: 10.28.99.200